

दुर्गा पूजा / मुहर्रम - 2017

द० प्र० स०

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

मध्यप्रदेश सरकार

खुँटी (1)

बनाम

M-91

2017

आदेश पत्रक

विरेंद्र सोनी

कोर

दस्तावेज संख्या :- एम. 91 / 2017, धारा :- 107 द. प्र. स.

बनाम प्रभारी कार्य के अप्राथमिकी संख्या :- 14/17


32 / 23/9/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खुँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यो नही दिया जाय ।

दिनांक :- 28 / 9 / 17 को उपस्थापित करें ।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खुँटी

12225

(2)

12 विपरी अनुपसि पुनः दि० १/१/१८ को २२०

118 विपरी अनुपसि, पुनः दि० ११/१/१८ को २२०

118 विपरी अनुपसिधत। पुनः दिनांक - 6/2/18 को रखें।

1211 विपरी अनुपसि, पुनः दि० 10/2/18 को २२०

10218 दुर्गा पुजा/भुईम 2017 शान्ति पूर्ण हंग से सम्पन्न हुआ। दिनांक - 10/2/2018 के राष्ट्रीय लोकअहलत में इस काह की कारवायी को समाप्त की जाती है।

10/2/18

10/02/2018

10.2.18

